APPEAL TO ALL BSNL PENSIONERS RETIRED BETWEEN 1-10-2000 AND 09-06-2013
FROM
All India Retired BSNL Executive Welfare Association (AIRBSNLEWA)

website www.aibsnlretd.org email sdebhl@yahoo.co.in Whatsapp 9433000088

बिषय : सरकार द्वारा हमारे पेंशन और पेंसोनारी बेनिफिट के छीने जाने के बिरुद्ध में कोर्ट केस

प्रिय पेंशनर /फॅमिली पेंशनर,
सबसे पहले AIRBSNLEWA की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। यह एसोसिएशन BSNL पेंशनर के पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी बरक़रार रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। हमारी वेबसाइट www.aibsnlretd.org में इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। 78.2% IDA मर्जर के लिए और 60:40 पेंशन शेयरिंग को ख़तम करनेके के लिए हम पिछले तीन वर्षसे संग्राम कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। इसके एलावा फ्री कॉल बढ़ाने के लिए और इन्टरनेट से मेडिकल बिल ट्रैकिंग के लिए भी हमारा प्रयास जारी है।

DOT 18 जुलाई 78.2% IDA मर्जर के ऑर्डर जारी करनेके बाद सभी सर्कलो में फिक्सेशन का काम चालू है। अबतक बहुत सारे सर्विस बुक्स CCA ऑफिस में भेजे गये हैं। हम उम्मीद करते हैं कि निर्धारित समय अर्थात 31-12-2016 तक ज्यादा से ज्यादा पेमेंट हो जायेगा। लेकिन समस्या ये है कि 1-1-2007 से 78.2% IDA मर्ज करने पर हमें जो पेंशन और gratuity इत्यादि के एरियर मिलने चाहिए, सरकार उसका ज्यादा अंश हमें नही दे रही है। हमें नया पेंशन , एरियर सहित केवल 09-06-2013 से ही मिल रहा है । आइये हम देखे की क्या मिलनेवाला है और हमसे क्या छीने जा रहे हैं :

प्री 2007 पेंशनरो के लिये :
इन पेंशनोरोके 2006 दिसम्बर के पेंशन के साथ 78.2% IDA मर्ज करनेके बाद 30% फिटमेंट जोड़के नया पेंशन 1-1-2007 से तय होगा।

- **इन्हें मिलेगा 10-6-2013 से नया बढ़ा हुआ पेंशन।**
- **और इनसे छीना जा रहा है 1-1-2007 से 9-6-2013 तक 77.3 महीने के बढ़ा हुआ पेंशन एरियर ।**

पोस्ट 2007 पेंशनरो के लिए:
इन पेंशनोरो के 2006 दिसम्बर के वेतन के साथ 78.2% IDA मर्ज करनेके बाद 30% फिटमेंट जोड़के नया वेतन 1-1-2007 से तय होगा। फिर इसी क्रम से इन्क्रीमेंट प्रमोशन आदि जोड़के इनके रिटायरमेंट के समय, नया बेसिक और उसके आधा नया पेंशन तय होगा।

- **इन्हें भी मिलेगा 10-6-2013 से नया बढ़ा हुआ पेंशन।**
  और इनसे छीने जा रहे है
- **रिटायरमेंट के तारीख से 9-6-2013 तक के बढ़ा हुआ पेंशन के एरियर D A सहित।**
- **बढ़ा हुआ वेतन के हिसाब से लीव एंकाशमेंट के एरियर।**
- **बढ़ा हुआ वेतन के हिसाब से ग्रचुईटी के एरियर।**
- **बढ़ा हुआ पेंशन के हिसाब से कमुटेशॉन के एरियर।**
- **1-1-2007 से रिटायरमेंट के तारीख तक बढ़ा हुआ वेतन और एरियर DA सहित।** यह एरियर सर्विंग कर्मचारियों को भी नही मिला हैं, लेकिन उन्हें रिटायर होने के बाद पूरी पेंशन और ग्रचुईटी इत्यादि 78.2% IDA मर्ज किया हुआ वेतन के हिसाब से मिल रही है | वो हमसे छीनी जा रही है ।

आप हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं यह जानने के लिए हमारे वेबसाइट में दी हुई ऑटो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते है। आप देखेंगे कि हमे जो मिल रहा है उससे कईगुणा अधिक छिना जा रहा है।
हमसे ये सब छिनने के लिए ये कारण दिया जा रहा है कि सर्विंग एम्प्लोयी को 10-6-13 के पहले का एरियर नहीं दिया गया इसलिए हमें भी 10-6-13 के पहले का कोई एरियर नहीं दिया जायेगा। पे एरियर और पेंशन , ग्रचुईटी इत्यादि एरियर समान नही होती | ये सरकार की सरासर जबरदस्ती है हम मजबूर पेंशनरो के साथ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पेंशन और पेंशनेरी बेनिफिट को पेंशनरो के निजी प्रॉपर्टी करार दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी कारण के लिए पेंशन और पेंशनेरी बेनिफिट को रोका या छीना नही जा सकता। फिरभी सरकार यह जबरदस्ती कर रही है।
इस जबरदस्ती के खिलाफ हमने अपने अधिकार रक्षा करने के लिए कोर्ट में जाने का फैसला किया है। फिलहाल इस तरह के कोर्ट केस में फैसला केवल अप्लिकेन्ट के पक्ष में ही दिया जाता है। बाकी सबको इसका लाभ लेने के लिए फिर केस में जाना पड़ता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर पहले ही केस के अप्लिकेन्ट बन जाये, ताकि कोर्ट आदेश का फ़ायदा सबको मिले। इसके लिए **सभी इच्छुक पेंशनर को एक कॉपी वकालतनामा और दो कॉपी वेरिफिकेशन शीट साइन करनी होगी ।** पूरे देश में इस कार्य के लिए कमसे कम दो महीने समय की जरुरत है। अभी से शुरू किया जाए तो जनवरी 2017 के अंत में हम केस फाइल कर पाएंगे। और तब तक मैक्सिमम पेंशनर को बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल जायेगा।

हमने यह गाइड लाइन निश्चित किया है:

- ✓ यह केस प्रिंसिपल बेंच CAT नई दिल्ली में दर्ज किया जायेगा।

- ✓ हमारी तरफ से यह केस प्रस्तुत करनेके के लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ एड्वोकेट को ,जो की सर्विस मैटर में दक्ष है , उन्हें नियोग किया है । वे अभी ब्रीफ बनाने में व्यस्त है।

- ✓ हमारे सभी लाइफ मेंबर 200 रुपये कोर्ट फी देके इस केस मे एप्लिकेंट बन सकते है। यह फी केवल CAT के लिए पहली इंस्टालमेंट होगी । अगर हमें बाद में उच्चतर कोर्ट में जाना पड़े तो उसके लिए उचित फी मांगी जाएगी।

- ✓ जो एग्जीक्यूटिव पेंशनर हमारे मेंबर नहीं है, वे अगर एप्लिकेंट बनना चाहते है तो उनको लाइफ मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी और कोर्ट फी देनी पड़ेगी। लाइफ मेम्बरशिप फी है 525 रुपये एककालीन।

- ✓ नॉन एग्जीक्यूटिव पेंशनर भी यह केस का एप्लिकेंट बन सकते हैं। उनको इस केस के लिए हमारे एसोसिएशन का "एसोसिएट मेंबर" बनना होगा और कोर्ट फी देनी पड़ेगी । एसोसिएट मेम्बरशिप फी है 300 रुपये एककालीन ।

- ✓ फॅमिली पेंशनर भी एप्लिकेंट बन सकते हैं । हमने यह तय किया कि फॅमिली पेंशनर से किसी प्रकार की फी नही ली जाएगी ।

- ✓ अगर आप दूसरे किसी पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य हैं, तब भी आप हमारे लाइफ मेंबर या एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं । AIRBSNLEWA एक वेलफेयर एसोसिएशन है। आप एकसाथ कई वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य बन सकते हैं ।

- ✓ सभी पेमेंट केवल अकाउंट पेयी चेक द्वारा ही रिसीव किये जाएंगे ।

अगर आप यह केस में जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत आपके एरिया के AIRBSNLEWA सर्कल सेक्रेटरी से संपर्क करें । आप हमारे ऊपर में दिए हुए नंबर में AGS अमित गुप्ता जी से भी संपर्क कर सकते हैं। SMS or Whatsapp मेसेज कीजिये , तुरंत आप से संपर्क किया जायेगा।
आप से निवेदन है कि कृपया इस सर्कुलर को दूसरे पेंशनर / फॅमिली पेंशनर दोस्त को भी बतायें।

अभिनन्दन सहित
किशन सिंह
जनरल सेक्रेटरी
09968270611